पत्रांक–4 तक0 / डी0जी0 सेट अनुदान / 13 / 2017–..................

बिहार सरकार

उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 के अन्तर्गत सर्वश्री कोचस पावर प्रा0 लि0, तेन्दुनी, जगदीशपुर, भोजपुर, आरा को डी0जी0 सेट पर देय अनुदान राशि रु0 22,49,312.00 (बाइस लाख उन्चास हजार तीन सौ बारह रुपये) मात्र की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत वृहत् प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को कैपटिव पावर प्लान्ट / डी0जी0 सेट / गैर–पारंपरिक उर्जा श्रोतों की स्थापना पर देय अनुदान के लिए प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय समिति की दिनांक 05.12.2017 को हुई बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 01 दिनांक 01.01.2018 द्वारा निर्गत किया गया है। सर्वश्री कोचस पावर प्रा0 लि0, तेन्दुनी, जगदीशपुर, भोजपुर, आरा को रु0 रु0 22,49,312.00 (बाइस लाख उन्चास हजार तीन सौ बारह रुपये) मात्र डी0जी0 सेट मद में अनुदान के रूप में स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

(i) इकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर इकाई बंद होती है या अनुदान का दुरूपयोग किया जाता है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत इकाई से वसूल की जायेगी।

(ii) इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों / प्रमाण–पत्रों / अभिलेखों के भविष्य में गलत पाये जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाये जाने पर तद्नुसार अनुदान की राशि सूद समेत वसूल कर ली जायेगी।

(iii) इकाई द्वारा डी0जी0 सेट का उपयोग मात्र अपनी इकाई के लिए की जायेगी तथा अगले 5 वर्षो तक अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जायेगा।

(iv) इकाई द्वारा प्रत्येक तीन माह में उत्पादन से सम्बंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना होगा।

(v) राशि की उपलब्धता के पश्चात अनुदान के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

2. उक्त राशि के व्यय का वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या 1512, दिनांक 25.05.2017 एवं आवंटनादेश संख्या 14 / आ0, दिनांक 29.05.2017 के आलोक में मांग संख्या–23 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष–0160–प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड–23– 2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या–25 पर की जायेगी।

6. इस राशि का भुगतान सर्वश्री कोचस पावर प्रा0 लि0, तेन्दुनी, जगदीशपुर, भोजपुर, आरा को बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से की जायेगी।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांकः–
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर नाम के साथ–साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाय।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांकः–
प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांकः–
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 34 /पटना, दिनांकः– 08.01.18
प्रतिलिपिः– कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना/सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में/योजना शाखा, प्रशाखा–01 (सरकार)/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सर्वश्री कोचस पावर प्रा0 लि0, तेन्दुनी, जगदीशपुर, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05-01-2018
निदेशक,
तकनीकी विकास, बिहार, पटना।